न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 70 सन 2022
अनवान :–

1. चानणराम पुत्र अमीचन्द जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 30/09/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 555/544 के खसरा संख्या 140/1046 की कुल 3.5420हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम चानणमल पुत्र अमीचन्द दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम चानणराम पुत्र अमीचन्द दर्ज है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड चानणमल पुत्र अमीचन्द की जगह चानणराम पुत्र अमीचन्द संशोधित करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का नाम दस्तावेजात आधार कार्ड , पैनकार्ड , राशन कार्ड , पहचान पत्र, जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम चानणराम पुत्र अमीचन्द नाम दर्ज है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम चानणमल पुत्र अमीचन्द दर्ज है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय चानणराम पुत्र अमीचन्द के स्थान पर चानणमल पुत्र अमीचन्द दर्ज हुआ है जिसे संशोधन करवाकर चानणराम पुत्र अमीचन्द संशोधन करवाने का अधिकारी है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहा है जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है इसलिये प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 555/544 के खसरा संख्या 140/1046 की कुल 3.5420हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम चाणनमल के स्थान पर चाणनराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 555/544 के खसरा संख्या 140/1046 की कुल 3.5420हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम चानणमल पुत्र अमीचन्द दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम चानणराम पुत्र अमीचन्द दर्ज है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड चानणमल पुत्र अमीचन्द की जगह चानणराम पुत्र अमीचन्द संशोधित करवाने का अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का नाम दस्तावेजात आधार कार्ड , पैनकार्ड , राशन कार्ड , पहचान पत्र, जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम चानणराम पुत्र अमीचन्द नाम दर्ज है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम चानणमल पुत्र अमीचन्द दर्ज है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय चानणराम पुत्र अमीचन्द के स्थान पर चानणमल पुत्र अमीचन्द दर्ज हुआ है जिसे संशोधन करवाकर चानणराम पुत्र अमीचन्द संशोधन करवाने का अधिकारी है प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 555/544 के खसरा संख्या 140/1046 की कुल 3.5420हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम चाणनमल पुत्र अमीचन्द दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम चानणराम पुत्र अमीचन्द दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का सही नाम चानणराम पुत्र अमीचन्द है जो उक्त सभी दस्तावेजात में दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में चानणमल दर्ज है जिसे संशोधित करवाना चाहते है व अपने कथनो के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थी का सही नाम चाणनराम होना प्रतीत होता है।

प्रार्थी का नाम संशोधन के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात / तहसीलदार पेरोकार राज को ऐतराज नही होनें के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 555/544 के खसरा संख्या 140/1046 की कुल 3.5420हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम चानणमल पुत्र अमीचन्द दर्ज है के स्थान पर चानणमल उर्फ चाणनराम पुत्र अमीचन्द संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/09/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/3198 दिनांक :– 04/10/2022

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 70/2022 अनवानी चानणराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. चानणराम पुत्र अमीचन्द जाति मेधवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 70/2022 अनवानी चानणराम बनाम सरकार में दिनांक 30/09/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 555/544 के खसरा संख्या 140/1046 की कुल 3.5420हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम चानणमल पुत्र अमीचन्द दर्ज है के स्थान पर चानणमल उर्फ चाणनराम पुत्र अमीचन्द संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner